समाहरणालय, बेगूसराय।

(जिला राजस्व शाखा)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों में परने वाले हाट/बजार/मेला/बस पड़ाव एवं घाट सैरातों की वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक– 01.04.19 से 31.03.20) के लिए बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी। स्वीकृत्यादेश की प्रत्याशा में अनुशंसित सुरक्षित पर जमा डाक बन्दोवस्ती की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अनुशंसित सुरक्षित जमा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह लेसी को स्वीकार करना होगा।

क्रं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित राशि	जमानत की राशि	नीलामी का स्थान (सभी सैरातों के लिए)	बन्दोवस्ती की तिथि (सभी सैरातों के लिए)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बरौनी	सिमरिया घाट मेला	20125000/–	5031250/–	**कारगिल विजय सभा भवन समाहरणालय, बेगूसराय/समाहर्त्ता कार्यालय प्रकोष्ट, बेगूसराय**	प्रथम तिथिः– 25.03.19 अपराह्न 12:30 वजे। उस दिन डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि :– दिनांक 27.03.19 को अपराह्न 12:30 वजे उस दिन भी डाक नहीं हो पाने की स्थिति में अगली तिथि :–दिनांक 29.03.19 को अपराह्न 12:30 वजे तदोपरान्त मार्च, 2019 के प्रत्येक सरकारी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में डाक बन्दोवस्ती की जायेगी।
2.	बछवाड़ा	झमटिया घाट मेला	527735/–	131934/–		
3.	चेरियाबरियारपुर	मझौल बस पड़ाव	1888927/–	472232/–		
4.	चेरियाबरियारपुर	कोरजाना घाट	316571/–	79143/–		
5.	चेरियाबरियारपुर	विक्रमपुर घाट	330030/–	82507/–		
6.	साहेबपुर कमाल	कुरहा हाट	422103/–	105526/–		
7.	साहेबपुर कमाल	मल्हीपुर जहाज घाट–सह–टैक्सी स्टैंड	433550/–	108387/–		
8	मटिहानी	चाकघाट महेन्द्रपुर वागडोव	136879/–	34220/–		
9	बलिया	कोहबा नौरंगा घाट	155129/–	38782/–		
10	खोदाबन्दपुर	मसुराज आम बाग फलकर	25931/–	6483/–		

1. <u>तकनीकि निविदा की शर्त्तें</u>

   1. निविदादाता को वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम (GST) अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। इसके साथ अद्यतन जी0एस0टी रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   2. निविदादाता का PAN CARD की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं विगत 03 साल के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में नजारत उप समाहर्त्ता, बेगूसराय के कार्यालय में जमा कर नाजिर रसीद मूल में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग नहीं ले सकेगें।
4. डाकवक्ता को जमानत राशि के साथ जिस डाक में भाग लेना होगा अलग–अलग आवेदन देना होगा एवं अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो जमा करना होगा।
5. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में NOTARY PUBLIC द्वारा एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से कालीसूची में दर्ज नहीं की गई है।
6. निविदादाता को समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा अथवा पूर्व में निर्गत कार्यादेश की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

2. <u>वित्तीय निविदा की शर्त्तें</u>

1. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. डाक बन्दोबस्त की राशि की स्टाम्प शूल्क 5 प्रतिशत एवं निबंधन शुल्क 5 प्रतिशत वसूली का प्रावधान है जो देय होगा।

3. <u>डाक की अन्य शर्त्तें</u>

1. जो सैरात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बन्दोवस्त होगी।
2. बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बन्दोवस्ती की दिनांक–01.04.19 से 31.03.20 के लिए होगी।
3. सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती की पूरी राशि एकमुश्त डाक समाप्ति के पश्चात् तुरंत जमा करना होगा। सफल डाकवक्ता यदि बन्दोवस्ती की बोली के उपरान्त डाक की पूरी राशि जमा नहीं करते हैं तो आधी राशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष राशि तीन माह के भीतर दो किस्तों में जमा करना होगा। इस शर्त का अनुपालन नहीं होने पर अग्रधन एवं देय राशि जब्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
4. बन्दोवस्ती प्राप्त डाकवक्ताओं को निर्धारित सरकारी दर पर ही शुल्क वसूली का अधिकार होगा, अन्यथा अनियमित्ता पायी जाने पर बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी।
5. एक निविदादाता अन्य मदों के लिए निविदा कर सकते हैं, परन्तु उन्हें पृथक निविदा के लिए पृथक–पृथक तकनीकि एवं वित्तीय निविदा करना होगा।
6. पूर्व के बकायेदार बन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकेगें।
7. किसी भी प्रकार की वसूली व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोवस्ती की राशि में छूट नहीं दी जायेगी।
8. असफल डाकवक्ताओं का अग्रधन की राशि डाक समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
9. बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को डाक के बाद किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। अन्य सभी शर्त्तो जो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तय किये जायेगें का अक्षरशः पालन करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उनके एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
10. सिमरिया घाट सैरात के उच्चतम डाकवक्ता को सिमरिया मास मेला अवधि में मेला परिसर आदि का साफ–सफाई, घाट बनाना/सिमरिया घाट के मुख्य घाटों एवं कटाव क्षेत्र में स्थायी घेराबंदी कराना होगा, साथ ही निविदा प्राप्तकर्त्ता को छोटे मेला यथा मुंडन, पूर्णिमा स्नान आदि अवसरों पर एक स्थाई कुशल गोताखोर एवं एक स्थाई ध्वनि विस्तारक यंत्र

Scanned by CamScanner

(लाउडस्पीकर) अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

11. सिमरिया घाट सैरात अवस्थित पाँच स्थायी दुकानदारों जिनसे विभागीय वसूली की जाती है, से टॉल वसूली करने का अधिकार उच्चतम डाकवक्ता को नहीं होगा।
12. इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त शर्त्तो के अधीन निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है।

निविदा की शर्त एवं अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला राजस्व शाखा, बेगूसराय/जिला के वेवसाईट http:/www.begusarai.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित निविदा को अपरिहार्य परिस्थिति में बिना कारण बताये स्थगित/निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

03/03/15

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

Scanned by CamScanner